

प्रेषक,

विजय कुमार जोगदाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-01 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2023

विषय:- स्टेट डाटा सेन्टर पी0एम0सी0, ड्रोन रिसर्च सेन्टर पी0एम0सी0, सी0एम0 हैल्प लाईन हेतु तकनीकी मानव संसाधन एवं कॉल-सेन्टर सेवायें, स्टेट डाटा सेन्टर का तृतीय पक्ष ऑडिट, प्रशिक्षण एवं बी0पी0आर0 पी0एम0सी0, अधिवक्ता, आयकर तथा ऑडिट सम्बन्धी सेवाओं पर व्यय हेतु बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून के पत्र दिनांक-15.12.2022 के द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर पी0एम0सी0, ड्रोन रिसर्च सेन्टर पी0एम0सी0, सी0एम0 हैल्प लाईन हेतु तकनीकी मानव संसाधन एवं कॉल-सेन्टर सेवायें, स्टेट डाटा सेन्टर का तृतीय पक्ष ऑडिट, प्रशिक्षण एवं बी0पी0आर0 पी0एम0सी0, अधिवक्ता, आयकर तथा ऑडिट सम्बन्धी सेवाओं पर व्यय हेतु धनराशि रू0 276.90 लाख अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600 अन्य सेवायें, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण, 27-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 560.00 लाख (रू0 पांच करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 336.67 लाख (रूपये तीन करोड़ छत्तीस लाख सडसठ हजार मात्र) में से तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 276.90 लाख (रू0 दो करोड़ छियत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
- II. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय।
- III. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय

- Rigidity से बचा जाय एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- IV. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- V. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी।
- VI. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाए।
- VII. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- VIII. आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
- IX. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक-3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600 अन्य सेवायें, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढिकरण, 27-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391/9(150)2019/XXVII/2022, दिनांक-24.06.2022 में निहित प्राविधानों तथा बजट आवंटन अनुदान सं0-23 के अलॉटमेंट आई0डी0 सं-S23010230008, दिनांक:-23.01.2023 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

संलग्न-यथोक्त।

Signed by ^{भुवदीय} Vijay Kumar
Jogdande
Date: 03-02-2023 20:15:57
(विजय कुमार जोगदाण्डे)
Reason: Approved
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. - केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. - सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. - वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

I/95285/2023

(रजनीश जैन)
उप सचिव।